LCOUP-PRTN/50/2025-PRTN

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–778/36–3–2011 दिनांक 18–08–2011 तथा शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या–1778/36–3–2011 दिनांक 30–10–2011 द्वारा कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के औसत अंक 413 अंको पर दिनांक 1–04–2025 से 30–09–2025 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित परिवर्तनीय महगाई भत्ता दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 4300/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–413 पर दिनांक 1–04–2025 से 30–9–2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

$$\frac{(413-181)}{181} \times 4300 = \text{रू0}-5511.60/-\text{प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है–

क्रमांक	श्रेणियॉ	प्रतिमाह मजदूरी रुपये में	दिनांक 1.10..2024 से दिनांक .31.03.2025 तक प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में दिनांक 1.04...2025 से दिनांक 30.9.2025 तक	दिनांक 1.04...2025 से दिनांक 30.09.2025 प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में)(3+5)	दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में)(1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4300.00	9546	5511.60	9811.60	377.36
2	अर्द्ध–कुशल	4900.00	10878	6280.66	11180.66	430.02
3	कुशल	5450.00	12099	6985.63	12435.63	478.29
4	तारवाला	11150.00	24753	14291.71	25441.71	978.52
5	बेलनिया	7800.00	17316	9997.79	17797.79	684.53
6	पर्यवेक्षक	7550.00	16761	9677.34	17227.34	662.59

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 2181-88 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराए।
2. अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6. उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

Signed by
Markandeya Sahi
(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
Date: 30-03-2025 16:45:51

Scanned with OKEN Scanner